

॥ आदेश ॥

भोपाल, दिनांक 25 / 07 / 2020

फा.क्र. 2994 / 21-ब(दो) / 2020 राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पंकज गौड़ को महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में रिक्त सचिव के पद पर एक वर्ष अथवा अन्य व्यवस्था होने तक जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति कार्य पर उपस्थित होने के दिनांक से करता है।

उक्त संबंध में होने वाला व्यय "मांग संख्या-29-2014-न्याय प्रशासन-(114)-विधि सलाहकार और परामर्शदाता योजना (3428) -महाधिवक्ता में वित्त वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 / 07 / 2020

पृष्ठांकन क्र. 2994 / 21-ब(दो) / 2020

प्रतिलिपि:-

1. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 2. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर,
 3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर उनके यू.ओ. क्र. 167 / 414 / 2020 / 1 / 3 दि. 30.05.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ,
 4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर पृष्ठांकन क्र. 33 / 34 / 397 / ब-8 / 4 दिनांक 10.03.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ,
 5. लेखाधिकारी / टी.एम, कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, लेखा भवन, झांसी रोड, म0प्र0 ग्वालियर,
 6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय, मध्यप्रदेश जबलपुर
 7. श्री पंकज गौड़, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, A4, FF 1&2, ईदगाह हिल्स, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर, मध्यप्रदेश
 8. कोषालय अधिकारी, जबलपुर
 9. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(संतोष प्रसाद शुक्ल)

अतिरिक्त सचिव

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग